राजस्थान–सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।

क्रमांक :– 7065 दिनांक :– 14/12/2009

–: कार्यालय–आदेश :–

दिनांक 07–12–09 से प्रारम्भ हो रही मण्डल की सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू रूप से प्रबन्धन, गोपनीयता, आकस्मिकता एवं परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने हेतु मण्डल के स्तर से पर्यवेक्षकों/उड़नदस्ता अधिकारियों/बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति की गई है।

राजस्थान–यात्रा भत्ता नियम 1971 (संशोधित 2008) के नियम 08 (1) के परिशिष्ट 02 के प्रावधानों के तहत परीक्षाओं के लिये पर्यवेक्षकों/उड़नदस्ता अधिकारियों/बाह्य परीक्षकों को स्वयं की मोटर कार से यात्रा करने पर विशेष दरों पर सड़क भत्ता (Road Milage Allowance) दिये जाने की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति ड्यूटी प्रोग्राम अंकित तिथियों में स्वयं के वाहन से केवल प्रथम ड्यूटी तिथि को निर्धारित संस्था में पहुंचने के लिये एवं अन्तिम ड्यूटी तिथि की समाप्ति पर मूल संस्था में पहुंचने के लिये प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष
प्राविधिक शिक्षा मण्डल

क्रमांक :– एफ57/प्राशिमं/परीक्षा/2009/7066-88 दिनांक :– 14/12/2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।
2. रजिस्ट्रार, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय————————।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय————————।
5. सम्बन्धित पर्यवेक्षक————————————————।
6. कार्यालयाध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।
7. कार्यालयांध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।

सचिव
प्राविधिक शिक्षा मण्डल